न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

––

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
268/2017 प्रा0प0	14.09.2017	01.06.2022

1. रतनसिंह पिता गरवर सिंह जाति राव उम्र वयस्क निवासी गंठेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. सीता कुंवर पत्नि रतनसिंह जाति राव उम्र वयस्क निवासी गंठेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

––––प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ

––––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थीगण

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ी ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम शहीद राजेन्द्र सिंह नगर गंठेडी पटवार हल्का आक्या, तहसील भदेसर की खाता संख्या नया 209 में अंकित आराजी नम्बर 650 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 148 पर दर्ज आ0नं0 643 रकबा 0.86 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है जिसके साबिक आराजी नम्बर 263/1/क/1 रकबा 2 बीघा एवं साबिक आ0नं0 263/1/क/2 रकबा 4 बीघा स्थित था। साक्ष्य में नकल जमाबंदी मिलान क्षैत्रफल एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

2. यह कि प्रार्थीगण के पुराने आराजी नम्बर 263/1/क/1 रकबा 2 बीघा एवं आ0नं0 263/1/क/2 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 650 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं आ0नं0 643 रकबा 0.86 हैक्टेयर के नक्शे में परिवर्तन कर दिया है जिससे सीमांकन में बाधा आ रही है।

3. यह कि इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियो को प्रार्थीगण के खातेदारी में निहित भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं होते हुए भी नक्शे में मनमर्ज मुताबिक परितवर्तन करते हुए प्रार्थीगण के आराजीयात के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया है। यह सब संबंधित कर्मचारियो ने भूमि के नक्शे में हेर फेर करते हुए गंभीर त्रुटि कारित कर दी है जिससे प्रार्थीगण के हितो एवं अधिकारो के विपरित असर पडा है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

4. यह कि प्रार्थीगण खातेदार उपरोक्त नक्शा ट्रेस में हुई गंभीर त्रुटि को सही कर शुद्धिकरण कराने के कानूनी अधिकारी है।

5. यह कि प्रार्थीगण को कब्जेशुदा भूमि की जमाबंदी एवं भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पटवार हल्का से दिनांक 31.08.2017 को प्राप्त करने पर नक्शे में अशुद्धि का अंकन नहीं होने की जानकारी हुई तब से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण खातेदार की ग्राम शहीद राजेन्द्रसिंह नगर गंठेडी तहसील भदेसर में स्थित है जिसके पुराने आराजी नम्बर 263/1/क/1 रकबा 2 बीघा एवं आ0नं0 263/1/क/2 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 650 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं आ0नं0 643 रकबा 0.86 हैक्टेयर के नक्शे में परिवर्तन कर दिया है जिसको यथावत नक्शे में दुरुस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन तलब किया गया। बरोज पेशी उपस्थित। तहसीलदार भदेसर को मौका कमीश्नरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता बहस सुनी गई, जिन्होनें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्रांक/राजस्व/2018/ दिनांक 25.05.2018 से कमीश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार साबिक आराजी नम्बर 263/1/1क रकबा 2 बीघा रतनसिं पिता गिरवर सिंह राव निवासी गंठेडी के नाम दर्ज थी एवं साबिक आराजी नम्बर 263/1/1क/2 रकबा 4 बीघा भूमि श्रीमति पुष्पाबाई पत्नि सत्यनारायण 1/2 नगारची, श्रीमति सीताकुंवर पत्नि रतनसिंह 1/2 राव के नाम दर्ज है। तत्पश्चात भू प्रबंध के रेकार्ड में साबिक आराजी नम्बर 263/1/1क को नवीन खसरा नम्बर 650 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं साबिक आराजी नमबर 263/1/1क/2 को नवीन खसरा नम्बर 643 रकबा 0.86 हैक्टेयर देते हुए बदस्तु खातेदार रखा है लेकिन साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे में गलत पैमुद कर दी है। उक्त गलत पैमुदगी भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई जो शुद्धि योग्य है। साबिक नक्शे का नवीन नक्शे से मिलान करने पर आरजी नम्बर 263/1/1क नवीन नक्शे में आराजी नम्बर 235 के दक्षिणी मेड पर कायम होनी चाहिए एवं आराजी नम्बर 263/1/1क/2 नवीन आराजी नम्बर 635 को उत्तरी मेड पर कायम होनी चाहिए अर्थात् नवीन बिलानाम आराजी नम्बर 635 की दक्षिणी मेड पर (635/1) रकबा 0.43 हैक्टेयर रतनसिंह की आराजी एवं (635 मीन) रकबा 0.53 हैक्टेयर व 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर पुष्पाबाई पत्नि सत्यनारायण नंगारची 1/2, सीताबाई पत्नि रतनसिंह राव 1/2 नक्शे में दर्ज होनी चाहिए। आराजी नम्बर 635 रकबा 0.96

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

हैक्टेयर बिलानाम है एवं 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर सत्यनारायण, पन्नालाल, सुरेश पिता अमरलाल ओर कस्तुरी बेवा अमरलाल नंगारची के नाम दर्ज है तथा हाल खसरा नम्बर 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर के साबिक नम्बर 263/7 है, जिसे गलत जगह पैमुद कर दिया गया है। साबिक आराजी नम्बर 263/7 का नवीन नक्शे में मिलान करने पर नवीन खसरे में खसरा नम्बर 632 रकबा 0.22 हैक्टेयर बनता है, इस प्रकार आराजी नम्बर 650 रकबा 0.43 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 643 रकबा 0.96 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज होगी व बिलानाम आराजी नम्बर 632 रकबा 0.22 हैक्टेयर सत्यनारायण, पन्नालाल, सुरेश पिता अमरलाल ओर कस्तुरी बेवा अमरलाल नंगारची के नाम दर्ज होगी। एवं आराजी नम्बर 635 में से 635/1 रकबा 0.43 हैक्टेयर रतन सिंह पिता गरवरसिंह, 635 मीन रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर पुष्पाबाई पत्नि सत्यनारायण नंगारची 1/2, सीताबाई पत्नि रतनसिंह राव 1/2 दर्ज की जाना उचित है। नक्शे में उक्तानुसार परिवर्तन अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शहीद राजेन्द्र सिंह नगर पटवार हल्का आक्या तहसील भदेसर में नवीन बिलानाम आराजी नम्बर 635 की दक्षिणी मेड पर (635/1) रकबा 0.43 हैक्टेयर रतनसिंह की आराजी एवं (635 मीन) रकबा 0.53 हैक्टेयर व 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर पुष्पाबाई पत्नि सत्यनारायण नंगारची 1/2, सीताबाई पत्नि रतनसिंह राव 1/2 नक्शे में दर्ज होनी चाहिए। आराजी नम्बर 635 रकबा 0.96 हैक्टेयर बिलानाम है एवं 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर सत्यनारायण, पन्नालाल, सुरेश पिता अमरलाल ओर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

कस्तुरी बेवा अमरलाल नंगारची के नाम दर्ज है तथा हाल खसरा नम्बर 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर के साबिक नम्बर 263/7 है, जिसे गलत जगह पैमुद कर दिया गया है। साबिक आराजी नम्बर 263/7 का नवीन नक्शे में मिलान करने पर नवीन खसरे में खसरा नम्बर 632 रकबा 0.22 हैक्टेयर बनता है, इस प्रकार आराजी नम्बर 650 रकबा 0.43 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 643 रकबा 0.96 हैक्टेयर बिलानाम दर्ज होगी व बिलानाम आराजी नम्बर 632 रकबा 0.22 हैक्टेयर सत्यनारायण, पन्नालाल, सुरेश पिता अमरलाल ओर कस्तुरी बेवा अमरलाल नंगारची के नाम दर्ज होगी। एवं आराजी नम्बर 635 में से 635/1 रकबा 0.43 हैक्टेयर रतन सिंह पिता गरवरसिंह, 635 मीन रकबा 0.53 हैक्टेयर एवं 633 रकबा 0.28 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर पुष्पाबाई पत्नि सत्यनारायण नंगारची 1/2, सीताबाई पत्नि रतनसिंह राव 1/2 दर्ज की जाने एवं इसी अनुसार नक्शे में परिवर्तन कर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़